



2026:AHC:66471

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 5547 वर्ष 2026

रविकांत @ रवि आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, जयसिंह यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता:

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री जय सिंह यादव और राज्य प्रतिपक्षियों के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री उमा शंकर मिश्रा को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक रविकांत @ रवि की ओर से दायर किया गया है, जिसमें मुकदमा लंबित रहने के दौरान थाना-तालबेहाट, जिला ललितपुर में दर्ज एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/20/29/60/61 के तहत अपराध संख्या-489 वर्ष 2025 में उन्हें ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और गुप्त उद्देश्यों के कारण प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं की गई है और आवेदक का नाम केवल गिरफ्तार सह-अभियुक्त, अर्थात् सत्यवीर सिंह के इकबालिया बयान में सामने आया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक 14.11.2025 से जेल में बंद है और यह वचन देता है कि यदि उसे ज़मानत दी जाती है तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि, न्यायालय के समक्ष मामलों के भारी लंबित होने को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की कोई संभावना नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का छह मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे आवेदन में विधिवत समझाया गया है। आवेदक का निहितार्थ पूरी तरह से एक सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान पर आधारित है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य, (2021) 4 एस.सी.सी. 1** में निर्धारित कानून के मददेनजर साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है।

4. ततस्य विपरीत, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि, कॉल डिटेल अभिलेखों के अनुसार, आवेदक और सह-आरोपी ने 73 मौकों पर संवाद किया था, और आवेदक का स्थान सह-आरोपी के स्थान से मेल खाता पाया गया था। हालांकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब ट्रक पलट गया, तो आवेदक घटना स्थल से फरार होने में कामयाब रहा।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई थी। हालांकि, आवेदक का नाम सह-आरोपी सत्यवीर सिंह के इकबालिया बयान में सामने आया। वाहन से कुल 172 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया और सह-आरोपी सत्यवीर सिंह को मौके पर ही पकड़ लिया गया। एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जो नशीले पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा से जुड़े मामलों में जमानत देने के लिए कड़ी शर्तें निर्धारित करता है, और तूफान सिंह बनाम पंजाब राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए। अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आवेदक 14.11.2025 से जेल में है।

6. आवेदक के आचरण, धारा 37 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों और तूफान सिंह में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों सहित तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में अपराध की गंभीरता और आवेदक द्वारा पहले से ही गुजरी हुई कैद की अवधि दोनों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत जमानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।



7. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- रविकांत @ रवि को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो ज़मानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाएगा: -

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।
- (iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस ज़मानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

मार्च 30, 2026



सुमैरा

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!